

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं. 11/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(35). — सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तत्कालीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कहा गया है) को, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के उपबंधों के अधीन निगमित ऋणी हैं, जो निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जिनका कार्य प्रबंध, अंतरिम समाधान वृत्तिकों (आईआरपी) या समाधान वृत्तिकों (आरपी) द्वारा किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से निगमित दिवाला संबंधी समाधान प्रक्रिया पूरी होने तक वे नीचे यथा उल्लिखित अनुवर्ती विशेष प्रक्रिया का अनुपालन करेंगे।

2. रजिस्ट्रीकरण.- ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी रजिस्टर्ड थी, आई आर पी/ आर पी की नियुक्ति के तीस दिन के अंदर नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु ऐसी दशा में, जहां आईआरपी/आरपी की इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व नियुक्ति की गई है वहां वह आई आर पी/ आर पी इस अधिसूचना के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण कराएगा। जो आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगा।

3. विवरणी.- ऐसे व्यक्तियों का उक्त वर्ग, रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए उत्तरदायी हो गया है, से उस तारीख, जिसको रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, तक उक्त अधिनियम की धारा 40क के अधीन पहली विवरणी फाइल करेगा।

4. इनपुट का प्रत्यय.- (1) आईआरपी/आरपी की नियुक्ति से व्यक्तियों का उक्त वर्ग, उन बीजको पर जो कि तत्कालीन जी एस टी आई एन पर माल व सेवाओं या दोनों की आपूर्ति प्राप्त की है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) के उपबंधों और छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्वीन बनाए गए नियमों के अधीन, के नियम 36 के उपनियम (4) के सिवाय, प्रस्तुत उसकी प्रथम विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय उपभोग करने का पात्र होगा।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिन्होंने, उक्त वर्ग से, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से उस अवधि के लिए जो इस अधिसूचना में यथापेक्षित रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक या इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, इसमें से जो भी पूर्वतः हो, भूतपूर्व रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के जी एस टी आई एन द्वारा जारी बीजकों पर आपूर्ति प्राप्त की है, उक्त अधिनियम के अध्याय 5 के उपबंधों और तद्वीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन, उक्त नियमों के नियम 36 के उपनियम (4) के उपबंधों के सिवाय, इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए पात्र होगा।

5. इस अधिसूचना के निबंधनानुसार आईआरपी/आरपी की नियुक्ति की तारीख से रजिस्ट्रीकरण की तारीख तक विद्यमान रजिस्ट्रीकरण में आईआरपी/आरपी द्वारा रोकड़ खाता में निक्षेपित कोई रकम तत्कालीन रजिस्ट्रीकरण में प्रतिदाय के लिए उपलब्ध होगी।

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “निगमित ऋणी”, “निगमित दिवाला समाधान वृत्तिक” “अंतरिम समाधान वृत्तिक” और “समाधान वृत्तिक” के वही अर्थ होंगे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में उनके हैं।

2. यह अधिसूचना 21 मार्च, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(35). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(35), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 11/2020 – State Tax

No. F-10-35/2020/CT/V(35). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those registered persons (hereinafter referred to as the erstwhile registered person), who are corporate debtors under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), undergoing the corporate insolvency resolution process and the management of whose affairs are being undertaken by interim resolution professionals (IRP) or resolution professionals (RP), as the class of persons who shall follow the following special procedure, from the date of the appointment of the IRP/RP till the period they undergo the corporate insolvency resolution process, as mentioned below.

2. Registration.- The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP:

Provided that in cases where the IRP/RP has been appointed prior to the date of this notification, he shall take registration within thirty days from the commencement of this notification, with effect from date of his appointment as IRP/RP.

3. Return.- The said class of persons shall, after obtaining registration file the first return under section 40 of the said Act, from the date on which he becomes liable to registration till the date on which registration has been granted.

4. Input tax credit.-(1) The said class of persons shall, in his first return, be eligible to avail input tax credit on invoices covering the supplies of goods or services or both, received since his appointment as IRP/RP but bearing the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made there under, except the provisions of sub-section (4) of section 16 of the said Act and sub-rule (4) of rule 36 of the Chhattisgarh Goods and Service Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules).

(2) Registered persons who are receiving supplies from the said class of persons shall, for the period from the date of appointment of IRP / RP till the date of registration as required in this notification or thirty days from the date of this notification, whichever is earlier, be eligible to avail input tax credit on invoices issued using the GSTIN of the erstwhile registered person, subject to the conditions of Chapter V of the said Act and the rules made there under, except the provisions of sub-rule (4) of rule 36 of the said rules.

(5) Any amount deposited in the cash ledger by the IRP/RP, in the existing registration, from the date of appointment of IRP/RP to the date of registration in terms of this notification shall be available for refund to the erstwhile registration.

Explanation.- For the purposes of this notification, the terms “corporate debtor”, “corporate insolvency resolution professional”, “interim resolution professional” and “resolution professional” shall have the same meaning as assigned to them in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016).

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 21 March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं. 12/2020- राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(36) - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 21/2019-राज्य कर क्रमांक एफ-10-19/2019/वाक/पांच(46), दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 131 तारीख 24 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु उक्त व्यक्तियों को, जो प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे से युक्त विवरण देने के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कर अवधियों के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी दिया है, ऐसे करदाता वित्तीय वर्ष 2019-2020 के सभी कर अवधियों के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में मालों या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति का विवरण या प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के भुगतान के ब्यौरे से युक्त विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।”

2. यह अधिसूचना 21 मार्च, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(36). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(36), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 12/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(36). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 21/2019-State Tax, No. F-10-19/2019/CT/V(46) dated the 23th April, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 131 dated the 24th April, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, the following proviso shall be inserted, namely : —

“Provided that the said persons who have, instead of furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 have furnished a return in FORM GSTR-3B under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules) for the tax periods in the financial year 2019-20, such tax payers shall not be required to furnish the statement in outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 of the said rules or the statement containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 for all the tax periods in the financial year 2019-20.”

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 21 March, 2020

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं. 13/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(37). - सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 70/2019-राज्य कर क्रमांक एफ-10-49/2019/वाक/पांच(119), दिनांक 27 दिसम्बर, 2019, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 913 तारीख 31 दिसम्बर, 2019 में प्रकाशित किया गया था, को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करती है, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(37). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(37), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 13/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(37). — In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred as said rules), the Government on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 70/2019-State Tax, No. F-10-49/2019/CT/V(119) dated the 27th December, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 913 dated the 31st December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st October, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं. 14/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(38). — सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर और छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 72/2019-राज्य कर क्रमांक एफ-10-49/2019/वाक/पांच(121), दिनांक 27 दिसम्बर, 2019, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 913 तारीख 31 दिसम्बर, 2019 में प्रकाशित किया गया था, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करती है कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा।

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्राप्त को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रतिउत्तर रखने वाला समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(38). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(38), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 14/2020— State Tax

No. F 10- 35/2020/CT/V(38). — In exercise of the powers conferred by the sixth proviso to rule 46 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), the Government, on the recommendations of the Council, and in supersession of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 72/2019-State Tax, No. F-10-49/2019/CT/V(121) dated the 27th December, 2019, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 913 dated the 31st December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that an invoice issued by a registered person, whose aggregate turnover in a financial year exceeds five hundred crore rupees, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of said rules, and registered person referred to in section 14 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, to an unregistered person (hereinafter referred to as B2C invoice), shall have Dynamic Quick Response (QR) code:

Provided that where such registered person makes a Dynamic Quick Response (QR) code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross-reference of the payment using a Dynamic Quick Response (QR) code, shall be deemed to be having Quick Response (QR) code.

2. This notification shall come into force from the 1st day of October, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

संख्या 15/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(39). - आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 80, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के वार्षिक रिटर्न को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त नियमों के नियम 80 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी देने की समय सीमा को 30-06-2020 तक बढ़ाते हैं।

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(39). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(39), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 15/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(39). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till 30-06-2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 23 March, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं. 16/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(40). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 23 मार्च, 2020 से प्रभावशील माने जाएंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में, 1 अप्रैल, 2020 से, उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) आवेदक, उपधारा (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के लिए आधार संख्या अधिप्रमाणन करवाएगा।”।

3. उक्त नियमों में, 1 अप्रैल, 2020 से, नियम 9 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों से भिन्न कोई व्यक्ति, नियम 8 के उपनियम (4क) में यथा विनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराने में असमर्थ रहता है वहां रजिस्ट्रीकरण, आवेदन की तारीख से साठ दिन के अपश्चात् उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, नियम 25 में उपबंधित रीति में केवल कारबार के मूल स्थान का वास्तविक सत्यापन करने के पश्चात् ही दिया जाएगा और ऐसे मामलों में उपनियम (5) के उपबंध लागू नहीं होंगे।”

4. उक्त नियमों के नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“कतिपय मामलों में, कारबार परिसर का वास्तविक सत्यापन- जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का वास्तविक सत्यापन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने से पहले या रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन में असफल होने के कारण अपेक्षित है वहां वह उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में, कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कर सकेगा, और फोटो सहित अन्य दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट, ऐसे सत्यापन की तारीख से आगामी पन्द्रह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।”

5. उक्त नियमों के नियम, 43 के उपनियम (1) में 1 अप्रैल, 2020 से,-

(क) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“ ‘ए’ के रूप में द्योतक ऐसे पूंजी माल के सम्बन्ध में, जो खंड (क) और खंड (ख) के अधीन नहीं आते हैं, इनपुट कर की रकम, बीजक में परिलक्षित टैक्स की राशि होने के नाते, को इलेक्ट्रॉनिक जमा कहते में जमा किया जायेगा और ऐसे माल का उपयोगी जीवन, ऐसे माल के बीजक से पांच वर्ष होगा :

परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (क) के अधीन पूर्वतन आया है इस खंड के अधीन तत्पश्चात् आयेगा क के अनुसार उल्लिखित ऐसे पूंजी मालों के संबंध में निवेश कर इस शर्त के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में जमा की जाएगी, ऐसी पूंजी माल के दौरान अवधि के लिए अपात्र प्रत्यय मानते हुए 'टाई' के रूप में उल्लिखित खंड (क) के अंतर्गत आते थे प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए पांच प्रतिशत अंकों की दर पर परिकलित किया जाएगा और कर अवधि जिसमें ऐसे प्रत्यय का दावा किया गया है, के निर्गम कर दायित्व को सम्मिलित करेगा :

परंतु यह कि रकम 'टाई' केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और समाकलित कर के निवेश कर प्रत्यय के लिए अलग से गणना की जाएगी और प्ररूप जी एस टी आर - 3 ख में घोषित की जाएगी ” ;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“क” की रकम का संकलित प्रत्यय सामान्य पूंजी माल के संबंध में खंड ‘ग’ के अधीन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता जमा किया गया, जिसका उपयोग कर अवधि के दौरान होता है, जो कि “टी सी” के रूप में निरूपित किया जाता है, ऐसी पूंजी माल के संबंध में सामान्य प्रत्यय होगा :

परंतु जहां कोई पूंजी माल खंड (ख) के अधीन पहले से ही आच्छादित है, वह खंड (ग) के अधीन पश्चातवर्ती आच्छादित था ऐसी पूंजी माल के संबंध में निवेश कर प्रत्यय मांग समाकलित मूल्य ‘टी सी’ पर जोड़ा जाएगा ;” ;

(ग) खंड (ड.) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण – संदेह का निवारण करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पूंजी माल का उपयोगी जीवन बीजक की तारीख से पांच वर्षों तक विचार में लिया जाएगा और उक्त सूत्र, उक्त पूंजी माल के उपयोगी जीवन के दौरान लागू होगा । ” ;

(घ) खंड (च) का लोप किया जाएगा ।

6. उपर्युक्त नियमावली में, नियम 80 में उपनियम (3) में, निम्नलिखित ‘परन्तुक’ के अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“बशर्ते कि हर पंजीकृत व्यक्ति जिसका सकल कारोबार वित्तीय वर्ष 2018-19 में पांच करोड़ रुपये से अधिक रहा होगा, को अपने बही खातों की धारा 35 की उपधारा (5) में यथा विनिर्दिष्ट रूप से लेखा परीक्षा/परीक्षित करानी होगी और वह उस लेखा परीक्षा/परीक्षित वार्षिक बही खाते की एक प्रति, विधिवत अभिप्रमाणित हो, वित्तीय वर्ष 2018-19 के FORM GSTR-9C में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से, चाहे सीधे हो या चाहे आयुक्त के द्वारा अधिसूचित सुविधा राज्य के माध्यम से, प्रस्तुत करेगा।”

7. उक्त नियमों के, नियम 86 में उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उप नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4क) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी संदत्त रकम जो कि दोषपूर्ण कर संदत्त या अधिक्य में संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा किया है, जिसके लिए विकलन इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से किया गया है, उक्त रकम, यदि ग्राह्य पायी जाती है, को प्ररूप जी एस टी पी एम टी-03 में उल्लिखित आदेश द्वारा उचित अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में पुनः प्रत्यय किया जाएगा ।”

8. उक्त नियमों के नियम 89 में, उपनियम (4) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

“(ग) “मालों का शून्य-दर पूर्ति का न्यापारावर्त” का अर्थ बंधपत्र या उपक्रम पत्र या कीमत के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अवधि के दौरान किए गए मालों की शून्य दर पूर्ति की कीमत है जो प्रदायकर्ता द्वारा यथाघोषित वही या समान रूप से रखे गए प्रदायकर्ता द्वारा घरेलू मालों की पूर्ति के बराबर की कीमत का 1.5 गुना है, जो उपनियम (4क) या उपनियम 4 (ख) या दोनों के अधीन वापसी के लिए दावा किया गया है, के संबंध में पूर्तियों से भिन्न व्यापारावर्त से कम है;”

9. उक्त नियमों के नियम 92 में,-

(क) उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1क) जहां शून्य दर पूर्ति या समझा गया निर्यात पर संदत्त कर की वापसी से भिन्न कर के रूप में संदत्त किसी रकम की वापसी का आवेदन की परीक्षा के लिए उचित अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) के अधीन की गई वापसी शोध्य है और आवेदक को संदेय है, वह नकदी में संदत्त किए जाने के लिए वापसी की रकम को स्वीकृत करते हुए प्ररूप आर एफ डी-06 में एक आदेश देगा अधिनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त विधि के अधीन किसी बकाया मांग के विरुद्ध समायोजित रकम में उल्लिखित सुसंगत अवधि के लिए उन्मोचित कर दायित्व के लिए कुल संदत्त रकम के विरुद्ध नकदी में विकलित रकम के लिए आनुपातिक और वापसी योग्य रकम का अतिशेष और शेष रकम के लिए, जो ऐसे कर के संदाय के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित किया गया है, उचित अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में निवेश कर प्रत्यय के रूप में उक्त रकम को पुनः जमा करते हुए प्ररूप जी एस टी पी एम टी -03 जारी करेगा।”;

(ख) उप-नियम (4) में, “उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “या उप-नियम (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (5) में, “उप-नियम (1) के अधीन प्रतिदाययुक्त रकम” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “या उप-नियम (1क)” शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे”;

10. उक्त नियमों के नियम 96 के उप-नियम (10) के खंड (ख) जो कि 23 अक्टूबर, 2017 में प्रवृत्त हुआ, में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण.- इस उपनियम के उद्देश्यों के लिए, उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के लाभ केवल उपयोग के लिए विचार में नहीं लिए जाएंगे जाहं पंजीकृत व्यक्ति निवेशों पर समाकलित माल और सेवा कर और प्रतिकर उपकर संदत्त किया है और उक्त अधिसूचना के अधीन केवल आधारभूत सीमा शुल्क (बी सी डी) छूट प्राप्त होगी।”

11. उक्त नियमों में, नियम 96क के बाद, निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“96 ख. मालों के निर्यात पर अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय या समेकित कर संदाय की वापसी की वसूली जहां निर्यात की वसूली की प्रक्रिया नहीं की जाती है -

(1) जहां मालों के निर्यात या मालों के निर्यात पर एकीकृत कर संदाय के लिए निवेश कर प्रत्यय का उपयोग न किए गए की कोई वापसी किसी आवेदन को संदत्त की गई है किंतु ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विक्रय की कार्यवाही संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में वसूली नहीं की गयी है, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर भारत में, ऐसी अवधि के किसी विस्तार को सम्मिलित करते हुए, वह व्यक्ति जिसको प्रतिदाय किया गया है ऐसे प्रतिदाय की गई रकम को जमा करेगा, विक्रय प्रक्रिया के वसूली न किए गए के विस्तार तक, उक्त अवधि के समाप्ति के तीस दिनों के भीतर लागू ब्याज के साथ, यथास्थिति, विस्तारित अवधि आती है, जिसमें वह रकम का प्रतिदाय किया गया अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूली जाएगी जैसी भी स्थिति हो, धारा 50 के अधीन ब्याज सहित त्रुटिपूर्ण वापसी के लिए वसूली की जाएगी :

परंतु जहां विक्रय की प्रक्रिया या उसका कोई भाग ऐसे निर्यात मालों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) के अधीन अनुज्ञेय अवधि के भीतर आवेदक द्वारा वसूली नहीं की गई है, किंतु भारतीय रिजर्व बैंक गुणागुणों पर विक्रय प्रक्रियाओं की वसूली की आवश्यकता को अपलिखित करता है, आवेदक को संदत्त वसूली की वापसी नहीं होगी।

(2) जहां विक्रय प्रक्रिया आवेदक द्वारा वसूली की जाती है वसूली की रकम के पश्चात् संपूर्ण रूप से या उसके भाग रूप में उपनियम (1) के अधीन उससे वसूल की गयी है और आवेदक विक्रय प्रक्रिया के वसूली की तारीख से तीस महीने की अवधि के भीतर ऐसी वसूली के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ऐसी वसूल की गई रकम विक्रय प्रक्रियाओं के वसूली के विस्तार तक आवेदक को उचित अधिकारी द्वारा वापसी की जाएगी, परंतु विक्रय प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुज्ञात ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वसूल की गयी हो।”

12. उक्त नियम में, नियम 141 के उप-नियम (2) में “आयुक्त” शब्द के स्थान पर “उचित अधिकारी” रखा जाएगा।

13. उक्त नियम में, प्ररूप जी एस टी आर एफ टी-01 में नियम 89(2)(छ) के अधीन घोषणा के बाद निम्नलिखित वचनबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

वचन बंध

मैं एतद्वारा वचन देता हूं कि एस जी एस टी नियम, 2017 की धारा 96 ख के साथ पठित आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 16 के परंतुक के अनुसार विदेश विनियम की विप्रेषणादेश की दशा में ब्याज के साथ मंजूर प्रतिदाय की राशि सरकार को जमा करूंगा।

हस्ताक्षर-

नाम

पदनाम /प्रास्थिति।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(40). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(40), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 16/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(40). — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2020.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall deemed to have come into force on the 23 March, 2020.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(4A) The applicant shall, while submitting an application under sub-rule (4), with effect from 01.04.2020, undergo authentication of Aadhaar number for grant of registration.”.

3. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), with effect from 01.04.2020, the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“Provided that where a person, other than those notified under sub-section (6D) of section 25, fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, then the registration shall be granted only after physical verification of the principle place of business in the presence of the said person, not later than sixty days from the date of application, in the manner provided under rule 25 and the provisions of sub-rule (5) shall not be applicable in such cases.”.

4. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely:-

“Physical verification of business premises in certain cases.-Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required due to failure of Aadhaar authentication before the grant of registration, or due to any other reason after the grant of registration, he may get such verification of the place of business, in the presence of the said person, done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in FORM GST REG-30 on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.”.

5. In the said rules, in rule 43, in sub-rule (1) with effect from the 1st April, 2020,-

(a) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

“(c) the amount of input tax in respect of capital goods not covered under clauses (a) and (b), denoted as ‘A’, being the amount of tax as reflected on the invoice, shall credit directly to the electronic credit ledger and the validity of the useful life of such goods shall extend upto five years from the date of the invoice for such goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (a) is subsequently covered under this clause, input tax in respect of such capital goods denoted as ‘A’ shall be credited to the electronic credit ledger subject to the condition that the ineligible credit attributable to the period during which such capital goods were covered by clause (a), denoted as ‘Tie’, shall be calculated at the rate of five percentage points for every quarter or part thereof and added to the output tax liability of the tax period in which such credit is claimed:

Provided further that the amount ‘Tie’ shall be computed separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax and declared in FORM GSTR-3B.

Explanation.- An item of capital goods declared under clause (a) on its receipt shall not attract the provisions of sub-section (4) of section 18, if it is subsequently covered under this clause.”

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:-

“the aggregate of the amounts of ‘A’ credited to the electronic credit ledger under clause (c) in respect of common capital goods whose useful life remains during the tax period, to be denoted as ‘Tc’, shall be the common credit in respect of such capital goods:

Provided that where any capital goods earlier covered under clause (b) are subsequently covered under clause (c), the input tax credit claimed in respect of such capital good(s) shall be added to arrive at the aggregate value ‘Tc’;”;

(c) in clause (e), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.- For the removal of doubt, it is clarified that useful life of any capital goods shall be considered as five years from the date of invoice and the said formula shall be applicable during the useful life of the said capital goods.”;

(d) clause (f) shall be omitted.

6. In the said rules, in rule 80, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that every registered person whose aggregate turnover during the financial year 2018-2019 exceeds five crore rupees shall get his accounts audited as specified under sub-section (5) of section 35 and he shall furnish a copy of audited annual accounts and a reconciliation statement, duly certified, in FORM GSTR-9C for the financial year 2018-2019, electronically through the common portal either directly or through a Facilitation State notified by the Commissioner.”.

7. In the said rules, in rule 86, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(4A) Where a registered person has claimed refund of any amount paid as tax wrongly paid or paid in excess for which debit has been made from the electronic credit ledger, the said amount, if found admissible, shall be re-credited to the electronic credit ledger by the proper officer by an order made in FORM GST PMT-03.”.

8. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (C), the following clause shall be substituted, namely :-

“(C) “Turnover of zero-rated supply of goods” means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking or the value which is 1.5 times the value of like goods domestically supplied by the same or, similarly placed, supplier, as declared by the supplier, whichever is less, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;”.

9. In the said rules, in rule 92,-

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(1A)Where, upon examination of the application of refund of any amount paid as tax other than the refund of tax paid on zero-rated supplies or deemed export, the proper officer is satisfied that a refund under sub-section (5) of section 54 of the Act is due and payable to the applicant, he shall make an order in FORM RFD-06 sanctioning the amount of refund to be paid, in cash, proportionate to the amount debited in cash against the total amount paid for discharging tax liability for the relevant period, mentioning therein the amount adjusted against any outstanding demand under the Act or under any existing law and the balance amount refundable and for the remaining amount which has been debited from the electronic credit ledger for making payment of such tax, the proper officer shall issue FORM GST PMT-03 re-crediting the said amount as Input Tax Credit in electronic credit ledger.”;

(b) in sub-rule (4), after the words, brackets and figure “amount refundable under sub-rule (1)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (1A)”, shall be inserted;

(c) in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “amount refundable under sub-rule (1)”, the words, figures, bracket and letter “or sub-rule (1A)”, shall be inserted.

10. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (10), in clause (b) with effect from the 23rd October, 2017, the following Explanation shall be inserted, namely,-

“Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the benefit of the notifications mentioned therein shall not be considered to have been availed only where the registered person has paid Integrated Goods and Services Tax and Compensation Cess on inputs and has availed exemption of only Basic Customs Duty (BCD) under the said notifications.”.

11. In the said rules, after rule 96A, the following rule shall be inserted, namely:-

“96B. Recovery of refund of unutilised input tax credit or integrated tax paid on export of goods where export proceeds not realised. -(1) Where any refund of unutilised input tax credit on account of export of goods or of integrated tax paid on export of goods has been paid to an applicant but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised, in full or in part, in India within the period allowed under the Foreign

Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, the person to whom the refund has been made shall deposit the amount so refunded, to the extent of non-realisation of sale proceeds, along with applicable interest within thirty days of the expiry of the said period or, as the case may be, the extended period, failing which the amount refunded shall be recovered in accordance with the provisions of section 73 or 74 of the Act, as the case may be, as is applicable for recovery of erroneous refund, along with interest under section 50:

Provided that where sale proceeds, or any part thereof, in respect of such export goods are not realised by the applicant within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits, the refund paid to the applicant shall not be recovered.

(2) Where the sale proceeds are realised by the applicant, in full or part, after the amount of refund has been recovered from him under sub-rule (1) and the applicant produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount so recovered shall be refunded by the proper officer, to the applicant to the extent of realisation of sale proceeds, provided the sale proceeds have been realised within such extended period as permitted by the Reserve Bank of India.”.

12. In the said rules, in rule 141, in sub-rule (2), for the word “Commissioner”. the words “proper officer” shall be substituted.

13. In the said rules, in FORM GST RFD-01, after the declaration under rule 89(2)(g), the following undertaking shall be inserted, namely:-

“UNDERTAKING

I hereby undertake to deposit to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case of non-receipt of foreign exchange remittances as per the proviso to section 16 of the IGST Act, 2017 read with rule 96B of the SGST Rules 2017.

Signature-

Name –

Designation / Status”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं० 17/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(41). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, और निम्नलिखित व्यक्तियों के वर्ग, से भिन्न व्यक्तियों के वर्ग पर लागू नहीं होंगे अर्थात्:-

(क) व्यक्ति;

(ख) सभी प्रकार के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ग) प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(घ) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(41). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(41), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 17/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(41). — In exercise of the powers conferred by sub-section (6D) of section 25 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the provisions of sub-section (6B) or sub-section (6C) of the said Act shall not apply to a person who is not a citizen of India or to a class of persons other than the following class of persons, namely :—

- (a) Individual;
- (b) authorised signatory of all types;
- (c) Managing and Authorised partner; and
- (d) Karta of an Hindu undivided family.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं० 18/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(42). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 25 की उपधारा (6ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन करवाएगा :

परन्तु यदि उक्त व्यष्टि को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(42). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(42), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 18/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(42). — In exercise of the powers conferred by sub-section (6B) of section 25 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which an individual shall undergo authentication, of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration :

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said individual, he shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं० 19/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(43). - राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करती है जिससे-

- (क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और
- (ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा :

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(43). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(43), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 19/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(43). — In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which the -

- (a) authorised signatory of all types;
- (b) Managing and Authorised partners of a partnership firm; and
- (c) Karta of an Hindu undivided family,

shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall come into effect from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं. 27/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(44). — राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करती हैं ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर-1 में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि ।
(1)	(2)	(3)
1	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	31 जुलाई, 2020
2	जुलाई, 2020 से सितंबर 2020	31 अक्टूबर, 2020

3. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

4. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(44). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(44), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 27/2020 – State Tax

No. F 10-35/2020/CT/V(44). — In exercise of the powers conferred by section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 under the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely :-

TABLE

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	April, 2020 to June, 2020	31st July, 2020
2	July, 2020 to September, 2020	31st October, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 23 March, 2020

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

सं. 29/2020 - राज्य कर

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(45). — आयुक्त, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट करता है कि अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रुपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य में है, अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 तक के प्रत्येक मास

के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बाईसवें दिवस को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।

2. प्ररूप जीएसटीआर-3ख के अनुसार, कर दायित्व से उन्मोचन के लिए कर संदाय -उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन किसी अन्य संदेय रकम का, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक उधार खाते में विकलन द्वारा, जिस तारीख पर उससे उक्त विवरणी देना अपेक्षित है, प्रथम पैरा में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के पश्चात् नहीं, अपने दायित्व का उन्मोचन करेगा।

3. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(45). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-34/2020/वाक/पांच(35), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 29/2020 – State Tax

No. F-10-35/2020/CT/V(45). — In exercise of the powers conferred by section 168 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in FORM GSTR-3B of the said rules for each of the months from April, 2020 to September, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month:

Provided that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the State of Chhattisgarh, the return in FORM GSTR-3B of the said rules for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twenty-second day of the month succeeding such month:

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B. — Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be and his liability towards interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 23 March, 2020

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना

संख्या 02/2020 - राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(46). - छत्तीसगढ़ माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप-धारा (1), (3) और उप-धारा(4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुये कि ऐसा कारण जनहित में आवश्यक है, और जी एस टी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 11/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच(79), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

- (i) मद (i) के पश्चात, और कालम (3), (4) और (5) में दी गयी उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

(3)	(4)	(5)
"(i) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देख-भाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	-"

- (ii) मद(ii) में, कालम (3) में, कोष्ठक और अंक "(i)" के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक "और (ii)" को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(46). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(46), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No.02/2020- State Tax (Rate)

No. F-10-35/2020/CT/V(46). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 11/2017-State Tax(Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(79) dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

- (a) after item (i) and entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be inserted, namely, -

(3)	(4)	(5)
“(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	-

- (b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures “(i)”, the word, brackets, and figures “and (ia)” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

अधिसूचना
संख्या 03/2020-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(47). — छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा 1 और धारा 15 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना सं. 01/2017-राज्य कर (दर) क्रमांक एफ-10-43/2017/वाक/पांच (69) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे छत्तीसगढ़ के राजपत्र (असाधारण) में, क्रमांक 252 तारीख 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

1. उक्त अधिसूचना में,—

क अनुसूची I-2.5% में, क्रम सं. 187 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

ख अनुसूची II-6% में,

- (i) क्रम सं. 75 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, यथा :-

“75 अ	3605 00 10	सभीमाल”;
-------	------------	----------

- (ii) क्रम सं. 202 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

- (iii) क्रम सं. 203 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

ग अनुसूची III-9% में,

(i) क्रम सं. 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 379 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी माल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 मार्च 2020

क्रमांक एफ 10-35/2020/वाक/पांच(47). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-35/2020/वाक/पांच(47), दिनांक 31-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st March 2020

NOTIFICATION
No. 03/2020-State Tax (Rate)

No. F-10-35/2020/CT/V(47). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the State Government, in the Commercial Tax Department, Notification No. 1/2017-State Tax(Rate), No. F-10-43/2017/CT/V(69) dated the 28th June, 2017, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252 dated the 29th June, 2017, namely :-

In the said notification, -

(a) in Schedule I - 2.5%, serial number 187 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II - 6%,-

(i) after serial number 75 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :-

"75A.	3605 00 10	All goods";
-------	------------	-------------

(ii) serial numbers 202 and 203 and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) in Schedule III - 9%,-

(i) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) in serial number 379, for the entry in column (3), the entry "All goods" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.